R. M. M Law College Saharsa
Birendra Kumar Trivedi
Part Time Law Teacher
Sub- Evidence

प्रश्न 1

प्रत्यक्ष साक्ष्य तथा परिस्थितिक साक्ष्य

किसी साक्ष्य के दो भेद होते हैं—
(1) प्रत्यक्ष साक्ष्य (2) परिस्थितिक साक्ष्य (Circum-stantial Evidence) किसी तथ्य के विषय में जब कोई साक्षी अपने निजी ज्ञान के आधार पर कथन करता है या कोई वस्तु या दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश करता है तो वह प्रत्यक्ष साक्ष्य माना जाता है।

इतर हर प्रकार का साक्ष्य परिस्थितिक साक्ष्य कहा जाता है। यह साक्ष्य भी दो कोटियों में विभाज्य है। प्रथम निश्चायक (conclusive) होता है। इतर वह जिससे किसी तथ्य की यथार्थता की उपधारण (presumption) मात्र की जा सके, जिस साक्ष्य की सहायता से विवाद्यक तथ्य और साबित किये गये तथ्यों का सम्बन्ध प्राकृतिक नियमों के अनुसार, अवश्यंभावी प्रतीत हो, वह साक्ष्य निश्चायक साक्ष्य की कोटि में आता है।

जिस साक्ष्य से विवाद्यक तथ्य की यथार्थता सम्भावित होती हो वह इसकी श्रेणी में आता है। सम्भावना चाहे कितनी कम या अधिक मात्रा में रहे।

प्रत्यक्ष साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य दोनों साक्ष्य होने के नाते एक समान ही है दोनों का उद्देश्य एक ही होता है। यदि इनमें कोई भेद है तो यह कि पहला तो विवाद्यक तथ्य को प्रत्यक्ष रूप से साबित करता है। किन्तु दूसरा विशेष परिस्थितियों के सबूत के द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति करता है।

इन दोनों प्रकार के साक्ष्यों के भेद को एक साधारण दृष्टान्त से सुगमता से समझा जा सकता है। जैसे "क" के ऊपर यह आरोप लगे कि उसने "ख" पर लाठी प्रहार किया उसे चोट पहुँची। "ग" "ट" "ल" "व" यह बयान देता है कि क के ऊपर लगे आरोप को अपनी आँखों से देखा है फलस्वरूप "ख" को चोट आयी। यही प्रत्यक्ष साक्ष्य माना जाएगा। किन्तु घटनास्थल पर यदि कोई उपस्थित ही नहीं था तब परिस्थितिजन्य साक्ष्य होगा।